न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

RRCMS NO.-202603119600061

मिसल नम्बर–63 / 2025

1.रमेश पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड़
2.लीलाधर पुत्र बनवारी लाल जाति धाकड़
निवासीगण ग्राम राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 29/5/26

उपस्थितिः–
1.श्री घनश्याम नागर, अधिवक्ता प्रार्थी।
2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण गरीब, ग्रामीण, काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं जो काश्तकारी का काम कर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम जाखोड़ा पटवार हल्का जाखोड़ा भू0अभि0नि0 क्षेत्र कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 27 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 28 रकबा 2.28 हैक्टर कुल 2 किता की 2.30 हैक्टर आराजी स्थित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम जाखोड़ा तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 28 रकबा 2.28 हैक्टर कुल 2 किता की 2.30 हैक्टर पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश प्रदान करें एवं अन्य न्यायोचित सहायता भी प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

बहस उपरान्त पत्रावली में निहित दस्तावेंज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम जाखोड़ा तहसील लाडपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 28

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रकबा 2.28 हैक्टर कुल 2 किता की 2.30 हैक्टर भूमि की पत्थगढ़ी की जावे एवं पत्थरगढ़ी के दौराने निम्न बिन्दु अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे–

1 प्रकरण में प्रभावित सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सभी पक्षकारों की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावे।
2 यदि कोई भी कदीमी/प्रचलित या स्थायी रास्ता प्रचलन में है तो पत्थरगढ़ी से बाधित नहीं किया जा सकेगा।
3 यदि कोई धोरा या जलनिकासी का मार्ग हस्तगत आराजी में है तो पत्थरगढ़ी से बाधित नहीं किया जा सकेगा।
4 यदि मौके पर भूमि कम है तो पक्षकार को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।
5 यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो पत्थगढी की कार्यवाही नही करते हुये पक्षकार को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।

निर्णय आज दिंनाक: 29/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा